

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]  
No. 16]दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935  
DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 228  
| N.C.T.D. No. 228

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जनवरी, 2014

सं. फा. 23(40)/डी.ई./आरटीई/2012-13/772-83.—दिल्ली निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 27 के साथ पठित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 23 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या फा. 23(2)/डी.ई./आरटीई/2011-12/570-584 के खंड (क) के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विद्यालयों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 32 में उल्लिखित कर्तव्यों के निर्वहन के लिये प्रत्येक मंडल के उप-निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानीय प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,  
डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 24th January, 2014

No. F. 23(40)/DE/RTE/2012-13/772-83.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) and read with rule 27 of the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, and with reference to clause (a) of the notification No. F. 23(2)/DE/RTE/2011-12/570-584 dated the 23rd April, 2013, the Lieutenant Governor of Delhi is pleased to notify each District Deputy Director of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Directorate of Education, as Local Authority for performing the functions as envisaged in Section 32 of the said Act, in relation to the schools under the administrative control of the Government.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)